न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी : देवेन्द्र कुमार, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)

प्रकरण संख्या : 06/09 (RCMS id : 2001/00009)

1. देवकीनन्दन पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द जाति दर्जी निवासी ग्राम कसार तहसील लाडपुरा, जिला कोटा।
2. ओमप्रकाश पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द जाति दर्जी निवासी ग्राम कसार तहसील लाडपुरा, जिला कोटा।
3. प्रेमशंकर पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द जाति दर्जी निवासी ग्राम कसार तहसील लाडपुरा, जिला कोटा।
4. सुमित्रा पुत्री श्री लक्ष्मीचन्द जाति दर्जी निवासी ग्राम कसार तहसील लाडपुरा, जिला कोटा।
5. कौशल्या पुत्री श्री लक्ष्मीचन्द जाति दर्जी निवासी ग्राम कसार तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
6. अनीता पुत्री श्री लक्ष्मीचन्द जाति दर्जी निवासी ग्राम कसार तहसील लाडपुरा, जिला कोटा।
7. रामकलां बाई बेवा लक्ष्मीचन्द जाति दर्जी निवासी ग्राम कसार तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

—वादीगण

बनाम

1. छीतरलाल आत्मज श्री भवान जी जाति दर्जी (मृतक) जरिये कायम मुकाम—
   1/1 सौभाग बाई पत्नी जगमोहन पुत्री स्व0 छीतरलाल ज़ाति दर्जी निवासी मालियों का मोहल्ला, गणेशपुरा, लाखेरी जिला बून्दी।
2. 1/2 बबीता पत्नी पुरूषोतम पुत्री स्व0 छीतरलाल जाति दर्जी निवासी थाने के पास कनवास जिला कोटा।
3. प्रभाती बाई पत्नी श्री छीतरलाल जाति दर्जी निवासी ग्राम कसार तहसील लाडपुरा जिला कोटा
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा

— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91 आर.टी.ए.

दिनांक : 04.01.2019

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट कोटा

उपस्थिति : श्री संजय शर्मा, वादी अभिभाषक

निर्णय

1. यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 90, 91 के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि —
   वादीगण ने अपने वाद में निवेदन किया है कि वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे की आराजी खसरा नं0 83 की 0.50है0, खसरा नं0 84 की 0.91है0, खसरा न0 85 की 0.01है0, खसरा नं0 86 की 0.46है0 कुल 4 किता 1.88 हैक्टेयर भूमि ग्राम कसार तहसील लाडपुरा नायब तहसील मण्डाना में स्थित है जिसके वादीगण खातेदार टीनेन्ट हैं और काबिज हैं जिसका पुराना नम्बर 1/692/710 एवं 94/696/742 थे। उक्त आराजी वादीगण को अपने पिता के मृत्यू उपरान्त विरासत में प्राप्त हुई है और मौके पर इस वक्त वादीगण का कब्जा चला आ रहा है। उक्त आराजी वादीगण 1 लगायत 6 के पिता एवं नम्बर 7 के पति की स्वअर्जित सम्पत्ति है और किसी अन्य का अथवा प्रतिवादीगण का उक्त आराजी में किसी

Devendra
ACEM सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक कोटा (राज.)

Scanned by CamScanner

प्रकार का कोई हक, हित, हिस्सा या कब्जा नहीं है। उक्त आराजी के अलावा मौजूदा खसरा नम्बर 87 की भूमि भी वादीगण के पिता के कब्जे के समय से आज तक वादीगण के कब्जे में चली आ रही है और खसरा नम्बर 87 सिवायचक रेवेन्यू रेकार्ड में दर्शाया है जबकि उक्त भूमि में पूर्व में वादीगण के खाते की रही है, इस प्रकार मौजूदा ख0नं0 83, 84, 85, 86, 87 की भूमि चारों ओर आज से करीब 40 साल पुराना कोट खिंचा हुआ है और गत 40 साल से सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 87 भी अलानियॉ तौर एवं खुले तौर पर वादीगण के कब्जे में वादीगण के पिता व पति के समय से चली आ रही है और इस प्रकार खसरा नम्बर 87 पर वादीगण को कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी हक़ कानून के असर से प्राप्त हो गये हैं। वैसे तो उक्त आराजी खसरा नं0 87 पूर्व में वादीगण के खाते की रही है लेकिन विकल्प में अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हुऐ यह भी निवेदन है कि यदि उक्त भूमि प्रारम्भ से सरकारी पाई जावे तो वादीगण को कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी हकूक प्राप्त हो चुके हैं। प्रतिवादी नं0 1 वादीगण का सगा काका है यानि वादीगण के पिता लक्षमी चन्द का सगा छोटा भाई है, वादीगण के पिता का देहान्त हो चुका है इसलिए प्रतिवादी नं0 1 व 2 जबरन नाजायज तौर से वादीगण को अपने खाते एवं कब्जे की आराजी से जबरन बेदखल करने की धमकियॉ देते हैं और बेदखल करने के लिये दिनांक 25.6.2001 को प्रतिवादीगण ट्रेक्टर लेकर जमीन हांकने के लिये आ गये जिन्हें बडी मुश्किल से रोका व भगाया अन्यथा कब्जा करने की नियत से प्रतिवादीगण आये थे। अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व हुक्म इम्तनाई दवामी यानि स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावे कि मुतनाजा भूमि पर जबरन कब्जा करने में कामयाब हो जाये तो उन्हें जर्ये डिक्री बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को दिया जावे।

प्रतिवादी क्रम 1 व 2 की ओर से जवाब दावा पेश कर कथन किया कि उक्त आराजीयात पर वादीगण का कब्जा होना स्वीकार नहीं है बल्कि सन् 1968 से उक्त भूमि पर प्रति0 का ही कब्जा चला आ रहा है। वादीगण के पिता एवं वादीगण का उक्त वर्णित आराजी पर कब्जा 1968 से ही नहीं है। सन् 1968 से प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ही उक्त आराजी पर शांति पूर्वक काश्त करते चले आ रहे हैं। वादग्रस्त भूमि पर प्रति0 क्रम 1 व 2 का कब्जा गत 34 वर्षो से निरन्तर चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि के आवंटन करते वक्त वादीगण के पिता एवं प्रति0 क्रम 1 संयुक्त परिवार के सदस्य थे तथा साथ ही निवास करते थे। प्रतिवादी क्रम 1 वर्ष 1960 में मिलेट्री में था इस कारण उक्त भूमि प्रति0 क्रम 1 ने वादीगण के पिता के नाम आवंटन करवा दी थी। आवंटन से पूर्व भी विवादित भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा था तथा आवंटन के बाद भी प्रतिवादी का ही कब्जा रहा। वर्ष 1968 में प्रति0 क्रम 1 मिलेट्री की नौकरी को रिजाइन करके गॉव आ गया तथा विवादित भूमि में काश्त करना प्रारम्भ किया इस प्रकार वर्ष 1968 से लेकर आज तक प्रति0 क्रम 1 का ही कब्जा विवादित भूमि पर चला आ रहा है। इस प्रकार विवादित भूमि पर प्रतिवादी का ही कब्जा 12 वर्षो से अधिक समय से निरन्तर एवं शाति पूर्वक होने से एडवर्स पजेशन होने से खातेदार हो गया है। ख0नं0 87 की भूमि सिवायचक दर्ज है। उक्त भूमि पर प्रतिवादी क्रम 1 का कब्जा 40 वर्षो से निरन्तर शांतिपूर्वक चला आ रहा है तथा ख0नं0 87 के कब्जे के रिकार्ड में भी प्रतिवादी नं0 2 का नाम चला आ रहा है। वादीगण के पिता लक्षमीचन्द प्रारम्भ से ही हेन्डीकेप्ड था तथा उसे ऑखों से बहुत कम दिखता था, खेती करने के लिए पूर्ण रूप से

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

Scanned by CamScanner

अयोग्य था। इस प्रकार वादीगण का कथन कि ख0नं0 87 की भूमि पर लक्ष्मीचन्द का कब्जा था बिल्कुल असत्य एव मनगढन्त है। वास्तविकता यह है कि लक्ष्मीचन्द को आँखों से सही न दिखने के कारण वादीगण के भूखो मरने की स्थिति आ गई थी ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादी को अपने मिलेट्री की नौकरी से रिजायन करना पड़ा तथा प्रतिवादी ने वादीगण तथा उनके पिता का भरण पोषण किया तथा वादीगण की शादी सम्बन्ध भी किया। विशेष आपत्ति में वाद की तिथि तथा उससे पूर्व वादीगण का विवादित भूमि पर कब्जा नहीं रहा है इसलिए वादीगण का वाद खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादीगण का कब्जा वादग्रस्त भूमि 40 वर्षो से अधिक समय से होने से एडवर्स पजेशन के आधार पर मालिक एवं काबिज हो गये हैं तथा वादीगण के समस्त अधिकार उक्त आराजी में समाप्त हो गये हैं।

3. प्रकरण के वाद पत्र एवं जवाब दावा के कथनों व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात कायम किये गये –

(क) आया वादीगण खसरा नम्बर 83 रकबा 0.50 हैक्टर, 84 रकबा 0.91 हैक्टर, 85 रकबा 0.01 हैक्टर, 86 रकबा 0.46 हैक्टर वाके ग्राम कसार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खातेदार एवं काबिज काश्त है। (वादीगण)

(ख) आया वादीगण प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। (वादीगण)

(ग) आया प्रतिवादी नं. 1 उक्त आराजी का एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार हो गया है। (प्रतिवादी नं. 1 व 2)

(घ) अनुतोष ?

4. पत्रावली के बहस अन्तिम में आने पर वादी अभिभाषक उपस्थित हुये, प्रतिवादीगण की ओर से उनके अभिभाषक अथवा उनमें से कोई उपस्थित नहीं हुआ। वादी अभिभाषक की प्रकरण पर बहस अन्तिम सुनी गई। वादी अभिभाषक द्वारा वादपत्र के कथनों को दोहराते हुये आराजी खसरा नम्बर 83, 84, 85, 86 पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना करने के साथ ही निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 87 सिवायचक है। अतः उसके लिये वादीगण कोई अनुतोष नहीं चाहते है। बहस अन्तिम के कथनों पर मनन करने तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन कर प्रकरण में कायम की गई तनकीयात निम्नानुसार तय की जाती है –

(क) *आया वादीगण खसरा नम्बर 83 रकबा 0.50 हैक्टर, 84 रकबा 0.91 हैक्टर, 85 रकबा 0.01 हैक्टर, 86 रकबा 0.46 हैक्टर वाके ग्राम कसार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खातेदार एवं काबिज काश्त है।*

वादीगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में विवादित खसरा नम्बरा 83, 84, 85 एवं 86 की नकल जमाबन्दी संवत 2051–2054 (प्रदर्श–1) एवं संवत 2055–2058 (प्रदर्श–2) पेश की है, जिनमें विवादित आराजी वादीगण के खाते दर्ज रेकार्ड है। इन खसरा नम्बरान की खसरा गिरदावरी संवत 2036–2039 (प्रदर्श–4), संवत 2040–2043 (प्रदर्श–5), संवत 2043–2046 (प्रदर्श–6), संवत 2047–2050 (प्रदर्श–7), संवत 2051–2054 (प्रदर्श–8) भी पेश की गई है। भू प्रबन्ध विभाग, कोटा से प्राप्त विवादित आराजी का साबिक एवं हाल खसरा नम्बरान का मिलान क्षैत्रफल तथा मौका नक्शा भी पेश किया गया है। उक्त दस्तावेजात वादी के खातेदार व कब्जे काश्त है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में तय की जाती है।

Devendra
सहायक कलक्टर एवं
ACJM (P.), Kota
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

Scanned by CamScanner

(ख) *आया वादीगण प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।*

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत स्थायी निद्योधाज्ञा का वाद काश्तकार द्वारा ही लाया जा सकता है। कानून की स्थिति भी स्पष्ट है कि कि इस केस में वादी को अपना स्थायी निद्योधाज्ञा का दावा डिक्री करवाने के लिये इस बात को सिद्ध करना पडेगा कि जिस दिन दावा पेश किया गया है, उस दिन वादग्रस्त आराजी पर वह काबिज था और प्रतिवादीगण उसके कब्जे में दखलान्दाजी करते है। प्रकरण में पेश की गई खसरा गिरदावरी व जमाबन्दी में वादीगण के नाम अंकित है। अतः वादी खातेदार काश्त होने के नाते इस अनुमान का उसे लाभ मिलेगा कि वह खातेदार है। अतः काश्त भी उसी की होगी, यदि अन्यथा साबित नहीं हो। प्रतिवादीगण का नाम बतौर खातेदार काश्तकार प्रमाणित नहीं है। अतः एसो प्रिजम्मशन का लाभ उसे नहीं मिल सकता। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण का काब्जा काश्त होने एवं रिकार्डेड खातेदार होने तथा प्रतिवादीगण द्वारा अपने कब्जे सम्बन्धी कोई दस्तावेज पेश नहीं करने के कारण वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार है।

(ग) *आया प्रतिवादी नं. 1 उक्त आराजी का एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार हो गया है।*

प्रतिवादी नं. 1 व 2 ने अपने जवाब दावा के प्रथम बिन्दु में ही विवादित आराजी बाबत उल्लेख किया है कि "उक्त आराजीयात पर वादीगण का कब्जा होना स्वीकार नहीं है बल्कि सन् 1968 से उक्त समस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का ही कब्जा चला आ रहा है।" इसी के आधार पर प्रतिवादीगण ने जवाब दावा के चरण 3 में अंकित किया है कि "इस प्रकार विवादित भूमि पर प्रतिवादी का ही कब्जा 12 वर्षो से अधिक समय से निरन्तर एवं शान्ति पूर्वक होने से एडवर्स पजेशन होने से खातेदार हो गया है।" उपरोक्त दोनों कथनों के समर्थन में प्रतिवादीगण की ओर से विवादित खसरा नम्बर 87 के लिये प्रतिवादी क्रम 2 के नाम, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अधीन जारी नोटिसों की फोटोप्रतियां पेश की गई है। इसके साथ खसरा नम्बर 87 का खसरा परिवर्तित निर्धारण (प्रपत्र पी–14) संवत 2058 पेश किया है जिसमें खसरा नम्बर 87 पर प्रतिवादिनी क्रम 2 का नाम अंकित है जबकि उनके द्वारा पेश खसरा गिरदावरी संवत 2051–2054 में खसरा नम्बर 87 सिवायचक दर्ज है। किन्तु जैसा कि हम माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय Jagdish and Ors V/s Sitaram and anr में देख सकते है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी प्रदान करने के प्रावधान नहीं है। अतः उन्हें एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता है।

¡ There is no provision to confer Tenancy Rights on the basis of adverse possession and Courts cannot confer the Tenancy Rights. Rajasthan Tenancy act does not have any provision to confer Tenancy Rights to the adverse possessor. Providing Tenancy Rights to the adverse possessor is a retreating steps with regard to land reform and such conferment of Tenancy rights is against the basic sprit of this special legislation. Extinguishment of Tenancy Rights creates no khatedari rights in the trespasser on the basis of adverse possession.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)
ACEM (P.) Kota

Scanned by CamScanner

वादीगण की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा की गई बहस अन्तिम में कथन किया था कि यद्यपि उनके द्वारा खसरा नम्बर 87 के लिये खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा गया है, उक्त खसरा नम्बर 87 सिवायचक आराजी है। वे अब ऐसा कोई अनुतोष प्राप्त नहीं करना चाहते है। अतः एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी दिये जाने सम्बन्धी कोई प्रावधान नहीं होने के कारण यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

(घ) *अनुतोष ?*

प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण द्वारा अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 83, 84, 85 एवं 86 की जमाबन्दी तथा कब्जे काश्त की खसरा गिरदावरी पेश कर स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है जबकि प्रतिवादीगण की ओर से विवादित खसरा नम्बर 83, 84, 85, 86 पर खातेदारी की घोषणा के साथ ही सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 87 पर अपने एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी चाही गई है।

5. उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादीगण विवादित आराजी के रिकोर्डेड खातेदार है। जिन खसरा नम्बरान के खातेदार है, उन पर कब्जा काश्त होने सम्बन्धी खसरा गिरदावरी भी पेश की गई है। वाद तिथि को भी वादीगण ही उपरोक्त खसरा नम्बरान के खातेदार रहे है। अतः वाद वादीगण आंशिक स्वीकार कर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण ग्राम कसार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 83 रकबा 0.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 84 रकबा 0.91 हैक्टर, खसरा नम्बर 85 रकबा 0.01 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 86 रकबा 0.46 हैक्टर कुल किता 4 की 1.88 हैक्टर पर वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें और न ही विवादित आराजी पर अवैध कब्जा करने का प्रयास करें। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

6. श्रीमान जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटा द्वारा आदेश क्रमांक रीडर/डीएम/2018/970 दिनांक 22.10.2018 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 04 जनवरी, 2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक कोटा (राज.)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (प्र.), कोटा

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
कोटा

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा
पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्र कुमार, I.A.S. (P)

बउनवान :–

1. देवकीनन्दन पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द जाति दर्जी निवासी ग्राम कसार तहसील लाडपुरा, जिला कोटा।
2. ओमप्रकाश पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द जाति दर्जी निवासी ग्राम कसार तहसील लाडपुरा, जिला कोटा।
3. प्रेमशंकर पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द जाति दर्जी निवासी ग्राम कसार तहसील लाडपुरा, जिला कोटा।
4. सुमित्रा पुत्री श्री लक्ष्मीचन्द जाति दर्जी निवासी ग्राम कसार तहसील लाडपुरा, जिला कोटा।
5. कौशल्या पुत्री श्री लक्ष्मीचन्द जाति दर्जी निवासी ग्राम कसार तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
6. अनीता पुत्री श्री लक्ष्मीचन्द जाति दर्जी निवासी ग्राम कसार तहसील लाडपुरा, जिला कोटा।
7. रामकलां बाई बेवा लक्ष्मीचन्द जाति दर्जी निवासी ग्राम कसार तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

–वादीगण

बनाम

1. छीतरलाल आत्मज श्री भवान जी जाति दर्जी (मृतक) जरिये कायम मुकाम–
   1/1 सौभाग बाई पत्नी जगमोहन पुत्री स्व0 छीतरलाल जाति दर्जी निवासी मालियों का मोहल्ला, गणेशपुरा, लाखेरी जिला बून्दी।
2. 1/2 बबीता पत्नी पुरूषोतम पुत्री स्व. छीतरलाल जाति दर्जी निवासी थाने के पास कनवास जि. कोटा।
3. प्रभाती बाई पत्नी श्री छीतरलाल जाति दर्जी निवासी ग्राम कसार तहसील लाडपुरा जिला कोटा
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : 88, 89, 90, 91 RTA
मुकदमा नम्बर : 06 / 09 (RCMS id : 2001/00009)
निर्णय दिनांक : 04-01-2019

न्यायालय हाजा में वादी की ओर से वादी अभिभाषक श्री संजय शर्मा की उपस्थिति में वाद पत्र की बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 01–01–2019 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर वाद वादीगण आंशिक स्वीकार कर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण ग्राम कसार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 83 रकबा 0.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 84 रकबा 0.91 हैक्टर, खसरा नम्बर 85 रकबा 0.01 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 86 रकबा 0.46 हैक्टर कुल किता 4 की 1.88 हैक्टर पर वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें और न ही विवादित आराजी पर अवैध कब्जा करने का प्रयास करें। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 01 जनवरी, 2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(देवेन्द्र कुमार)
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (प्र.), कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
		रूपया			रूपया
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प		1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	..... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
	जोड			जोड	

Scanned by CamScanner